



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481 FAX 2227602 FAX, Help Line 9928900900)

क्रमांक: 278- 312

दिनांक:-04.05.2019

प्रेषित:- सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान

विषय: ड्रॉप आउट बच्चों के स्कूल लाने के विशेष अभियान के संदर्भ में ।
संदर्भ: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर का पत्र क्रमांक 977 दिनांक 01.05.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में दिनांक 11.04.19 से 26.04.19 तक Bring Dropout Back to School के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिले में पी.एल.बी. के माध्यम से गाँवों में स्थित घरों एवं स्कूलों में जाकर विशेष अभियान चलाया गया था, जिस अभियान में 215128 घरों में सर्वे करके 42452 ऐसे Dropout बच्चे चिन्हित किये गये, जो नामांकन के पश्चात् स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाये हैं ।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल/शिक्षा/संस्कृत शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ने संदर्भित पत्र द्वारा उक्त Bring Dropout Back to School अभियान की सराहना की है और यह वर्णित किया है कि यह प्रयास शिक्षा विभाग के लिए सघन एवं प्रेरणास्पद रहेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार सूचीबद्ध समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को नामांकित करवाये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा उपलब्ध करायी गयी सूची पर विभाग द्वारा किये गये प्रयासों को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा ।

साथ ही यह भी अवगत कराया है कि शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 26 अप्रैल से 09 मई, 2019 तक प्रवेश उत्सव/बाल उत्सव का प्रथम चरण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रथम चरण के अन्तिम दिन 09 मई, 2019 को गाँवों में सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, भामाशाह एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा ।

कृपया उक्त के सन्दर्भ में Dropout बच्चों के अभियोजन के दौरान चिन्हित किये गये बच्चों की संख्या व आंकड़े आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें, ताकि शिक्षा विभाग द्वारा उक्त Dropout बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का कार्य किया जा सके। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त Dropout बच्चों के पुनः प्रवेश, पाठ्य पुस्तकें व स्कूल ड्रेस आदि के बारे में हुयी प्रगति की जानकारी प्राप्त कर इस प्राधिकरण को सूचित करें। आप जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग स्तर पर मौजूद अधिकारीगण से बैठक कर प्रवेशोत्सव में उचित सहयोग करें ।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव



क्रमांक : 313

दिनांक:04.05.19

प्रतिलिपि शिक्षा आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को उनके पत्र क्रमांक 977 दिनांक 01.05.19 के सन्दर्भ में प्रेषित है ।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर (राज0)